**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगीना, बिजनौर।**

प्रर्कीण प्रार्थनापत्र संख्याः– 14 सन 2024

शबीना वसीम बनाम मैराज हुसैन

थाना– नगीना जिला बिजनौर।

**<u>दिनांक 15–01–2024</u>**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ हेतु नियत है। प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र 156 (3) दं0प्र0सं0 प्रार्थीनी शबीना वसीम द्वारा विपक्षी मेराज हुसैंन के विरूद्व मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 156 (3) दं0प्र0सं0 प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में दिनांक 22.12.2023 को सामान्य तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को धारा 340 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बाधित मानते हुए खारिज कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थनी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था ए0आई0आर0 2005 सुप्रीम कोर्ट 2119 इकबाल सिंह मारवाह व अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह व अन्य की विधि व्यव्था के आलोक में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि यह कथन किया गया है कि यदि कोई कूट रचना किसी प्रपत्र में न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व कारित की गयी हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 195 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रावधान मामले में लागू नहीं होंगे।

प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्थाा का ससम्मान परिशीलन किया गया।

उक्त परिशीलनह से विदित है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर तथाकथित कूटरचित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत न करने से पूर्व का हे, जिस स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 195 द0प्र0सं0 से बाधित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अंतर्गत प्रार्थनी द्वारा यह कथन किया गया है कि आराजी खसरा सं0 114 कुल रकबई 0.5950 है0 स्थित ग्राम जगजीवनपुर हटटी, परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर के विशिष्ट भाग रकबई 0.051 है0 की मालिक, काबिज चली आती है, जो कि उन्होंने राशिदा परवीन से दिनांक 22.05.2006 को पंजीकृत बैनामें के द्वारा खरीदी थी। विपक्षी द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त जायदाद को अपना बताते हुए दिनांक 13.10.2023 को न्यायालय सिविल जज जू0डि0, नगीना में वाद सं0 1056/2023 मेराज हुसैन बनाम दिलशाद आदि दायर किया, जिसमें प्रार्थनी को प्रतिवादी बनाया तथा बैनामा दिनांकित 18.04.2006 प्रस्तुत किया। उसमें विकृत सम्पत्ति का खसरा सं0 114 अंकित नहीं होना बताया। मेराज हुसैन द्वारा दिनांक 06.02. 2023 को राशिदा परवीन उपरोक्त के हक में निष्पादित बैनामा दिनांकित 18.04.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि सं0 2380/2023 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसके पृष्ठ सं0 3 नकल दस्तावेज में कूट रचना करते हुए विपक्षी मैराज हुसैन ने हटा दिया, जिसके आधार पर उक्त वाद में अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने की नियत से दस्तावेज को बेईमानी पूर्वक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।

निकले हुए पृष्ठ पर वादग्रस्त व विक्रत सम्पत्ति का खसरा नम्बर सहित पूर्ण विवरण अंकित है तथा प्रार्थनी द्वारा न्यायालय में उपरोक्त बैनामें की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा विपक्षी का स्टे प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2023 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा दस्तावेज में कूटरचना करके न्यायालय से अवैध लाभ अर्जित करने का प्रयास किया गया तथा इस आशय की झूंठी आपत्ति एवं झूंठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थनापत्र का सम्यक परिशीलन किया गया तथा पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र सं0 318/2023 के साथ संलग्न प्रपत्र फैहरिस्त दिनांकित 03.01.2024 से प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया। उपरोक्त प्रपत्रों के आधार पर यह विदित है कि मामले में विपक्षी की ओर से सिविल जज जू0डि0 न्यायालय के समक्ष वाद सं0 1056/2023 में प्रस्तुत किये गये बैनामा दिनांकित 17.04.2006 के पृष्ठ सं0 3 को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि वादग्रस्त सम्पत्ति के विवरण का ब्यौरा न्यायालय के प्रस्तुत न किया जा सके तथा विपक्षी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने का प्रयत्न किया गया। उक्त प्रयत्न न्यायालय में अस्थायी अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष किया गया तथा जिसमें कि किसी आपराधिक आशय का सम्मिलित होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्रपत्र का कोई पृष्ठ न्यायालय में प्रस्तुत न करना प्रार्थी की ओर से कूट रचना किया जाना बताया गया है, जबकि कूट रचना के सम्बन्ध अभियोग पंजीकृत करने से पूर्व किसी व्यक्ति का आपराधिक आशय दर्शाया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त मामले में न्यायालय द्वारा जब प्रार्थना पत्र 6–सी पर उभयपक्ष को सुनकर आदेश पारित किया तो न्यायालय के समक्ष ऐसी स्थिति को रखने के चलते विपक्षी अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र के आधार पर आदेश पारित कराने में असफल रहा क्योंकि जब न्यायालय द्वारा गुणदोषों पर आदेश पारित किया गया तो सभी तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अनुसार जो कोई छल करेगा और तद द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया हो, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह किसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभू को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित हैं और जो मूल्यवान प्रतिभू में सम्परिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णत : या अंततः रचे या परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जा सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य का कथन नहीं किया गया है कि जिससे स्पष्ट हो कि द्वारा किसे प्रवंचित किया गया तथा किसे कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई वस्तु परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित किया गया। न्यायालय के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर जो आदेश गुणदोष पर पारित किया, उसमें विपक्षी द्वारा किसी उत्प्रेरण किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से न्यायालय द्वारा वादी के आचरण पर संदेह अवश्य प्रकट किया है तथा समता के आधार पर स्थिति को न्यायालय से छुपाकर एक तरफ आदेश प्राप्त करने की बात कही है, परंतु गुणदोष पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा विपक्षी के पक्ष मे पारित किये गये एक तरफा आदेश को समाप्त करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। इस प्रकार न्यायालय से छल किये जाने के सम्बन्ध में, अथवा किसी आपराधिक आशय के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया गया है।

इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 463 के अंतर्गत कूटरचना को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी किसी मिथ्या दस्तावेज या अभिलेख या दस्तावेज के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाये या यह कारित किया जाये कि कोई

व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता हो।

इस प्रकार कूटरचना के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मिथ्यास दस्तावेज अथवा अभिलेख रचा गया हो तथा ऐसा मिथ्या दस्तावेज धारा 463 में वर्णित आशय से रचा गया हो।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एस0सी0सी0 751 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के रूप में तैयार अथवा निष्पादित किया गया हो, किसी दस्तावेज को परिवर्तित किया गया हो, अथवा किसी दस्तावेज को छल से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया गया हो, जो अपने हित में न हो, उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 463 व धारा 464 के अंतर्गत प्रावधान लागू होना बताया गया है। उपरोक्त कूटरचना के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताये गये तथ्यों में किसी अभिलेख को कोई पृष्ठ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना उपरोक्त आपराधिक प्रावधान के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होता है तथा प्रार्थना में वर्णित तथ्यों के आधार पर कोई आपराधिक आशय प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों से परिलक्षित नहीं होता है। प्रश्नगत दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है, जो कि न्यायालय द्वारा गुणदोष पर अपना आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ण रूप से पढते हुए विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पर आधार न रखते हुए अपना आदेश पारित किया गया, जिससे कि न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आशय की सम्भावना को अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है अथवा वादी द्वारा आवश्यक तथ्यों को न्यायालय से छुपाने के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए उक्त मामले के वादी एवं प्रार्थना पत्र के विचपक्षीगण के विरूद्ध समता के आधार पर आदेश पारित किये गये। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थना पत्र में बताये गये तथ्यों से धारा 420 अथवा धारा 463 भा0द0सं0 के अंतर्गत आवश्यक तत्वों को प्रथम दृष्टया नष्ट नहीं किया जा सका। अतैव प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का आध ाार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थीनी शबीना वसीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 उपरोक्त निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दि0: **15.01.2024**

**(आमोद कंठ)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नगीना, बिजनौर।